सिक्किम राज्य मानव अधिकार आयोग

ब्लक-'सी', विधायक आवास, बीआईपी कॉलोनी, गंगटोक।

मानव अधिकार दिवस के अवसर पर संदेश

१० दिसम्बर अंतर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस है।

मानव अधिकार क्या है?

आम तौर पर मानव अधिकार को अविच्छिन्न मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक व्यक्ति साधारणतः जन्मसिद्ध रूप से इसका हकदार बनता है, क्यों कि वह एक मानव है। मानव अधिकार सभी मानव जाति पर अंतर्निहित होता है, जिसमें हमारा राष्ट्रियता, स्थान व आवास, लिंग, राष्ट्र या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा व और कोई भी अवस्था हो। कोई भेदभाव के बिना सभी अपने मानव अधिकार के लिए बराबर के हकदार है। यह अधिकार अंतर्सम्बन्धित, अंतर्निर्भरशील और अविभाज्य होता है। मानव अधिकार मूलतः ऐसा अधिकार होता है, जो एक व्यक्ति होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर इसका हकदार बनता है, जिस को एक सभ्य समाज में मान्यता मिलता है और कार्यान्वित किया जाता है। इस अधिकार का मूल तत्व विश्वव्यापी होता है जिस में आजादी, समानता और स्वतंत्रता सम्मिलित है।

मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, १९९३ (केंद्रीय अधिनियम १९९४ के संख्या १०) ने धारा २ (डी) में मानव अधिकार को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है:-

मानव अधिकार का अर्थ होता है- संविधान द्वारा प्रत्याभूत किया गया व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र में सम्मिलित किया गया और भारत के अदालतें द्वारा कार्यकर किया जाने योग्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबन्धित अधिकार है।

प्रारम्भः-

मानव अधिकार के अवधारणा उतना ही पुराना है, जितना प्राकृतिक नियम पर आधारित प्राकृतिक अधिकारकी अवधारणा है। विधिवेत्ताओं ने मानव अधिकार और मौलिक आजादी के प्रारम्भ और इसका प्रकृति के संबन्ध में विभिन्न सिद्धान्त विकसित किया है। पहले इसको 'जस नेचुरले' के रोम डॉक्टरिन कि तौर पर जाना जाता था। इसका अर्थ होता है, कानून प्रकृति स्वयं स्थापित करती है। भगवान इस कानून का स्रोत होता है। मानव अधिकार के अवधारणा मुख्य तौर पर प्राकृतिक कानून के तहत प्राकृतिक अधिकार के डॉक्टरिन के कारण विकसित हुआ है, लेकिन प्रारम्भिक रूप में ये घरेलू कानून के क्षेत्र में जैसा कि, मागना कार्टा (१२१५), पिटिसन आफ् राइट्स (१६२८), द हाबस करपस एक्ट (१६७९), बिल आफ् राइट्स (१६८९) और द एक्ट आफ् सेटलमेन्ट इन इंगलैंड (१७०१) में विकसित हुआ, जिसको स्वतंत्रता के मार्ग में सीमाचिन्ह व निर्दिष्ट बिंदु माना जा सकता है।

मानव अधिकारों का वर्गीकरणः-

मानव अधिकार को अंतर्राष्ट्रिय स्तर पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत और संगठित किया गया है। मानव अधिकारों का अति आम वर्गीकरण में नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारें हैं।

विकासः-

दूसरे विश्व युद्ध के प्रभाव ने अंतर्राष्ट्रिय समुदाय को मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए नियमों का संहिता और चार्टर आफ् युनाइटेड नेशन्स बनाने में बाध्य किया, जो २४ अक्टोबर, १९४५ में कार्यान्वित हुआ, जिसने यह मान्यता प्रदान किया कि मानव अधिकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम होता है और यह कोई एक राज्य के विशेष अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला अकेला विषय अब नही रहा। यह चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकार का संहिता और विश्व के पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के दस्तावेज तैयार करने का अधिकार दिया, जो युनिभर्सल डिकलेरेशन आफ् ह्युमन राइट्स, १९४८ के नाम पर आया, और १० दिसम्बर, १९४८ में इसको एक प्रस्ताव के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित किया। प्रस्तावना के अलावा इस में ३० धाराएं सम्मिलित है। बीसवी सदी के उत्तरार्ध में मानव अधिकारों की न्यायशास्त्रों का बहुत जल्द विकास होने लगा। विश्व में रहने वालें लोगों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सम्मिलित करते हुए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अस्तित्व में आया। भारत के संसद ने भी द प्रोटेक्शन आफ् ह्युमन राइट्स एक्ट, १९९३ को कार्यान्वित किया।

सिक्किम राज्य मानव अधिकार आयोगः-

सिक्किम मानव अधिकार आयोग अक्टोबर, २००८ में स्थापित किया गया था। राज्य के लोगों की मानव अधिकारों का बढ़ावा और सुरक्षा देने के दायित्व के साथ मानव अधिकार आयोग को एक संस्थान के रूप में बनाया गया था। जिससे सुशासन के लिए प्रशासन को प्रोत्साहित किया जा सकें।

आयोग को मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, १९९३ के धारा २९ के पाठ सहित धारा १२ में उल्लेख किया गया सभी व कोई कार्यों का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन
चेयरपर्सन।

Scanned by CamScanner

सिक्किम राज्य मानव अधिकार आयोग

ब्लक-'सी', विधायक आवास,
भीआईपी कलोनी, गान्तोक।

मानव अधिकार दिवसको अवसरमा सन्देश

१० दिसम्बर अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस हो।

मानव अधिकार के हो?

साधारणतः मानव अधिकारलाई एक अविच्छिन्न मौलिक अधिकारको रूपमा जानिन्छ, जहाँ एक व्यक्ति सामान्यतः जन्मसिद्ध रूपमा यसको हकदार बन्दछ, किनभने ऊ एक मानव हो। मानव अधिकार सबै मानव जातिमाथि अन्तरनिहित हुँदछ, जसमा हाम्रो राष्ट्रियता, स्थान वा आवास, लिङ्ग, राष्ट्र, वा जातीय मूल, रङ्ग, धर्म, भाषा अथवा अन्य कुनै पनि अवस्था किन नहोस्। कुनै पनि भेदभावबिना सबै आफ्ना मानव अधिकारका लागि बराबरीका हकदार हुन्छन्। यो अधिकार अन्तरसम्बन्धित, अन्तरनिर्भरशील तथा अविभाज्य हुँदछ। मानव अधिकार मूलतः यस्तो अधिकार हो, जसमा एक व्यक्ति हुनाका नाताले ऊ व्यक्तिगत रूपमा यसको हकदार बन्दछ, जसलाई सभ्य समाजमा मान्यता प्राप्त हुन्छ अनि लागू गरिन्छ। यस अधिकारको मूल तत्व विश्वव्यापी हुन्छ, जसमा मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रता सामेल छन्।

मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, १९९३ (केन्द्रिय अधिनियम १९९४ को संख्या १०)-ले धारा २ (डी) -मा मानव अधिकार-लाई निम्न अनुसार परिभाषित गरेको छः-

मानव अधिकार-को अर्थ हुन्छ-संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका वा अन्तरराष्ट्रिय प्रतीज्ञा-पत्रमा सम्मिलित गरिएका अनि भारतका अदालतहरूद्वारा कार्यान्वयनयोग्य व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानसँग सम्बन्धित अधिकार।

अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारहरूलाई प्रायः सन्धि, परम्परागत अन्तरराष्ट्रिय कानुन, आम सिद्धान्त तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरूका रूपमा कानुनद्वारा अभिव्यक्त तथा प्रत्याभूत गरिएको छ। व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार एवम् मौलिक अधिकारहरूको प्रवर्धन तथा सुरक्षा हेतु अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले निर्दिष्ट रूपले वा निश्चित गर्न बनाउनको निम्ति सरकारहरूलाई बाध्य गरेको छ। मानव अधिकारको सिद्धान्तका वैश्विकता अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको आधारशिला हो। पहिलोपटक १९४८ मा मानव अधिकारमाथि अन्तरराष्ट्रिय घोषणामा जोड दिइएको थियो। यस सिद्धान्तलाई अनेकन् अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन, घोषणा तथा प्रस्तावहरूमा दोहोर्याइएको छ। उदाहरणको निम्ति, मानव अधिकारमाथि १९९३ भियना विश्व सम्मेलनमा यस विषयलाई ध्यानमा राखिएको थियो कि राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाबाहिर सबै मानव अधिकार अनि मौलिक स्वतन्त्रताको प्रवर्धन तथा रक्षा गर्नु राज्यहरूको कर्तव्य हुन्छ।

प्रारम्भः-

मानव अधिकारको अवधारणा त्यति नै पुरानो हो, जति प्राकृतिक नियममा आधारित प्राकृतिक अधिकार-को अवधारणा हो। विधिवेत्ताहरूले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको प्रारम्भ तथा यसको प्रकृतिको सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्तहरू विकसित गरेका छन्। पहिला यसलाई 'जस नेचुरले' -को रोम डक्टरिनको रूपमा जानिन्थ्यो। यसको अर्थ हुन्छ, कानुन प्रकृति स्वयंले स्थापित गर्दछ। भगवान् यस कानुनको स्रोत हो। मानव अधिकारको अवधारणा मुख्यतः प्राकृतिक कानुन अन्तर्गत प्राकृतिक अधिकारको डक्टरिनको कारणले विकसित भएको थियो, तर प्रारम्भिक रूपमा यो घरेलु कानुनको क्षेत्र जस्तो, मागना कार्टा (१२१५), पिटिसन अफ् राइट्स (१६२८), द हाबस कर्पस एक्ट (१६७९), बिल अफ् राइट्स (१६८९) र द एक्ट अफ् सेटलमेन्ट इन इङ्ग्ल्याण्ड (१७०१)-मा विकसित भयो। यसलाई स्वतन्त्रताको मार्गमा माइलखुट्टी वा निर्दिष्ट बिन्दु मात्र सकिन्छ।

मानव अधिकारहरूको वर्गीकरणः-

मानव अधिकारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रकारले वर्गीकृत तथा संगठित गरिएको छ। मानव अधिकारहरूको अति सामान्य वर्गीकरणमा नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू पर्दछन्।

विकासः-

दोस्रो विश्वयुद्धको असरले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई मानव अधिकारहरूका सुरक्षा गर्नका निम्ति नियमहरूको संहिता तथा चार्टर अफ् युनाइटेड नेशन्स बनाउन बाध्य गरायो, जो २४ अक्टोबर, १९४५ मा कार्यान्वयन भयो। यसले यो मान्यता प्रदान गर्यो कि मानव अधिकारहरूको एउटा अन्तरराष्ट्रिय आयाम हुँदछ अनि अब यो कुनै एउटा राज्यको विशेषाधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउने एकल विषय रहेन। यो चार्टरले संयुक्त राष्ट्र संघलाई मानव अधिकारहरूको संहिता तथा विश्वको पहिलो मानव अधिकारको दस्तावेज तयार गर्ने अधिकार दियो, जो युनिभर्सल डिकलेरेशन अफ् ह्युमन राइट्स, १९४८ को नाममा आयो अनि १० दिसम्बर, १९४८ मा यसलाई एक प्रस्तावको रूपमा संयुक्त राष्ट्र महासभाले पारित गर्यो। प्राक्कथनबाहेक यसमा ३० धाराहरू सम्मिलित छन्। बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा मानव अधिकारका न्यायशास्त्रहरूको धेरै छिटो विकास हुनथाल्यो। विश्वमा बसोबास गर्ने मानिसहरूका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई सामेल गर्दै अनेक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन अस्तित्वमा आयो। भारतको संसदले पनि द प्रोटेक्शन अफ् ह्युमन राइट्स एक्ट, १९९३-लाई लागू गर्यो।

समयसँगै मानव अधिकारहरूको व्याख्या इन्टरनेशनल बिल अफ् राइट्सको रूपमा हुनथाल्यो, जुन सन्दर्भ (१) युनिभर्सल डिकलेरेशन अफ् ह्युमन राइट्स (१९४८) (२) इन्टरनेशनल कभनेन्ट अन सिभिल एण्ड पोलिटिकल राइट्स (१९७६) र (३) इन्टरनेशनल कभनेन्ट अन इकोनोमिक एण्ड सोसियो कल्चरल राइट्स (१९७६) हुन्। मानव अधिकारका प्रावधानहरूलाई लागू गर्नका निम्ति यी तीनवटा अधिकारहरूको बिलले वास्तवमा एउटा स्पर्शशिला बनायो। यसपछि धेरै प्रतीज्ञा-पत्र तथा कानुनहरू बनिए। यसप्रकारका कानुनमा एउटा हो द इनभ्यारियोमेन्ट (प्रोटेक्शन) एक्ट, १९८६, जसको मूल स्रोत स्कटहोममा सम्पन्न गरिएको यु.एन कन्फ्रेन्स अन ह्युमन इनभ्यारियोमेन्ट हो।

पर्यावरणसँग मानव अधिकारहरूको सम्बन्धः-

हालैका वर्षहरूमा मानव अधिकार अनि पर्यावरणबीचको सम्बन्धको मान्यतामा धेरै वृद्धि भएको छ। मानव अधिकार अनि पर्यावरणबीचको सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय एवम् घरेलु कानुनको संख्या तथा क्षेत्र, कानुनी फसेला अनि एकाडेमिक अध्ययन द्रुत गतिले बढ़िरहेको छ। सबै मानव जाति पर्यावरणमाथि निर्भरशील छन्, जहाँ हामी जीवन बिताउँछौं। मानव अधिकारहरूको पूर्ण रूपले उपभोग गर्नका निम्ति एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ अनि दीगो पर्यावरण त्यसमा अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ, जसमा जीवनको अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य, पानी तथा स्वच्छता सामेल छन्। एक स्वस्थ पर्यावरण बिना हामी आफ्ना आकांक्षाहरूको पूर्ति गर्न सक्नैनौं अथवा मानव सम्मानको निम्नतम स्तरसँग एउटा अपेक्षाकृत जीवन पनि जीउन सक्दैनौं। सँगसँगै, मानव अधिकारहरूको सुरक्षाबाट पर्यावरण सुरक्षामा पनि सहयोग हुन्छ। जब मानिसहरूले यो कुरा बुझ्न थाल्छन् अनि यसमा सहभागिता जनाउँछन्, यस निर्णयलाई प्रभावित गर्दछ। जब यस निर्णयले उनीहरूका दिगो पर्यावरणका लागि उनीहरूका आवश्यकताको सम्मान गर्दछ भन्ने जान्दछन्, त्यसबेला उनीहरू यसको सुनिश्चितताका लागि सहयोग गर्न पुग्छन्।

सिक्किम राज्य मानव अधिकार आयोगः-

सिक्किम मानव अधिकार आयोग अक्टोबर, २००८ मा स्थापित गरिएको थियो। राज्यका मानिसहरूका मानव अधिकारको प्रवर्धन तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्वका साथ मानव अधिकार आयोगलाई एक संस्थानको रूपमा निर्माण गरिएको थियो, जसबाट सुशासनको निम्ति प्रशासनलाई प्रोत्साहित गर्न सकियोस्। आयोगलाई मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, १९९३ को धारा २९ को पाठसहित धारा १२ मा उल्लेख गरिएका सबै वा कुनै कार्यको प्रदर्शन गर्न आवश्यक पर्दछ, जसमा निम्न कार्यहरू पनि सामेल छन्ः-

(१) मानव अधिकारहरूको उल्लंघन गरेमा उजुरी वा एक पीड़ित अथवा कुनै व्यक्तिले आफ्नो पक्षमा आयोगमा याचिका दर्ता गर्दा तथा कुनै अदालतको एउटा निर्देश वा आदेश अथवा त्यसको दुष्प्रेरण गर्दा, अथवा एक लोक सेवकद्वारा यस्ता उल्लंघन रोक्नमा लापरबाही गरिएको छ भने आयोग यसको जाँच, सुओ मोटो गर्दछ।

(२) राज्य सरकारको नियन्त्रण अन्तर्गतका कुनै जेल वा अन्य संस्थान, जहाँ व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा वा उपचार, सुधार अथवा सुरक्षाको दृष्टिले राखिएको हुन्छ, त्यहाँ बन्दीहरूको जीवन स्तरको अध्ययन गर्नको निम्ति भ्रमण गर्छ अनि त्यस सम्बन्धी सरकारलाई सिफारिश गर्छ।

(३) समाजका विभिन्न समूहमा मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार गर्दछ अनि प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार तथा अन्य उपलब्ध माध्यमबाट यी अधिकारहरूको सुरक्षा हेतु सुरक्षाको उपलब्धताको विषयमा जागरूकतालाई प्रवर्धन गर्छ।

(४) मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गैर-सरकारी संस्थान तथा संस्थानहरूका प्रयासलाई प्रोत्साहन दिन्छ।

राज्य आयोग मानव अधिकारहरूको सुधारको निम्ति काम गर्ने स्वायत्त तथा स्वतन्त्र निकाय हो एवम् यस्ता अधिकारहरूको उल्लंघनसँग सम्बन्धित छ। राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकारलाई सुशासनको आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नको निम्ति तथा मानव मानवको सम्मान एवम् मूल्य कायम राख्नको निम्ति सरकारलाई सहजता एवम् सहायता प्रदान गर्दछ। मानव अधिकारहरूका उल्लंघनबाट जोगिनको निम्ति राज्यका जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अनिवार्य हुन्छ, जो संविधानको निदेशक सिद्धान्तको रूपमा प्रतिष्ठापित एक कल्याणकारी राज्यको अन्तिम उद्देश्य हो।

न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार जैन
चेयरपर्सन।

...नेपालको स्वामित्वमा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा ... 03592-232029, 9474018600 ई-मेल ...@gmail.com

Scanned by CamScanner

SIKKIM STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

Block- 'C', Vidhayak Aawas,
VIP Colony, Gangtok.

Message on Human Rights Day

10th December is an "International Human Rights Day".

What are Human Rights?

Human Rights are commonly understood rights as inalienable fundamental rights, to which a person is inherently entitled simply because she or he is a human being. Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place or residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. All are equally entitled to their human rights without discrimination. These rights are interrelated, interdependent and indivisible. Human rights, as such, are those rights which an individual being an individual is entitled to and which in a civilized society are recognized and enforced. The core element of such rights is universal and consists of freedom, equality and liberty.

The Protection of Human Rights Act, 1993, (Central Act No.10 of 1994) defines the "human rights" in Section 2 (d) as under:-

"Human Rights" means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India.

Universal human rights are often expressed and guaranteed by law, in the forms of Treaties, Customary International Law, General Principles and other sources of International Law. International Human Rights law lays down obligations of Governments to act in certain ways or to refrain from certain acts, in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms of individuals or groups. The principle of universality of human rights is the cornerstone of international human rights law. This principle, as first emphasized in the Universal Declaration on Human Rights in 1948, has been reiterated in numerous international human rights convention, declarations, and resolutions. The 1993 Vienna World Conference on Human Rights, for example, noted that it is the duty of States to promote and protect all human rights and fundamental freedoms, regardless of their political, economic and cultural systems.

THE ORIGIN:-

The concept of human rights is as old as ancient concept of "Natural Rights" based on natural law. Various theories have been advanced by jurists with regard to origin and nature of human rights and fundamental freedoms. The earliest of these can be regarded as the Roman doctrine of '*Jus Naturale*'. It means the law which nature herself established. God is the source of this law. Although the concept of human rights developed mainly because of the doctrine of natural rights under natural law, but it has originally evolved in the field of domestic legislation as in Magna Carta (1215), Petition of Rights (1628), the Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689) and the Act of Settlement in England (1701) which may be regarded as landmarks in the path of liberty.

CLASSIFICATION OF HUMAN RIGHTS:-

Human rights can be classified and organised in a number of different ways, at an international level. The most common categorization of human rights are civil, political, economic, social and cultural rights.

DEVELOPMENT:-

The effect of Second World War compelled the international community to codify rules to protect human rights and the Charter of United Nations which came into force on 24th October, 1945 recognized that human rights have an international dimension and they are no longer solely a matter falling with in the exclusive jurisdiction of a State. This charter gave legal authority to United Nations to embark upon codification of human rights and the world's first International Human Rights documents viz., Universal Declaration of Human Rights, 1948 came to be adopted on 10 December, 1948 in the form a resolution passed by the United Nations General Assembly. Besides the preamble it consists of 30 Articles. It was during second half of the 20th century that human rights jurisprudence began to develop very fast. Number of International Conventions came into existence covering economic, social and cultural rights of the people living in this world. The Indian parliament also enacted, "The Protection of Human Rights Act, 1993".

With the passage of time, human rights came to be interpreted having regard to International bill of Rights which refer to (i) Universal declaration of Human Rights (1948) (ii) International Covenant on Civil and Political Rights (1976) and (iii) International Covenant on Economic and Socio Cultural Rights (1976). From these three bills of rights which actually form the touchstone for implementing human rights provisions, several Covenants and Acts followed and one such Act is "The Environment (Protection) Act, 1986 which has its origin in the U.N. Conference on Human Environment held at Stockholm.

RELATION OF HUMAN RIGHTS WITH ENVIRONMENT:-

In recent years, the recognition of the links between human rights and the environment has greatly increased. The number and scope of international and domestic laws, judicial decisions, and academic studies on the relationship between human rights and the environment have grown rapidly.

All human beings depend on the environment in which we live. A safe, clean, healthy and sustainable environment is integral to the full enjoyment of a wide range of human rights, including the rights to life, health, food, water and sanitation. Without a healthy environment, we are unable to fulfill our aspiration or even live at a level commensurate with minimum standards of human dignity. At the same time, protecting human rights helps to protect the environment. When people are able to learn about, and participate in, the decisions that affect them, they can help to ensure that those decisions respect their need for a sustainable environment.

SIKKIM STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION:-

The Sikkim Human Rights Commission was established in October, 2008. The Human Rights Commission is supposed to be an institution with the responsibility of promoting and protecting the human rights of the people of the State, thereby fostering an administration for good governance.

The Commission is required to perform all or any of the functions mentioned in Section 12 read with Section 29 of the Protection of Human Rights Act, 1993, which includes the following functions also:-

(i) Inquire, suo motu or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf or on a direction or order of any court, into complaint of violation of human rights or abetment thereof, or negligence in the prevention of such violation, by a public servant.

(ii) Visit any jail or other institution under the control of the State Government, where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection, for the study of the living conditions of the inmates thereof and make recommendations thereon to the Government.

(iii) Spread human rights literacy among various sections of society and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights through publication, the media, seminars and other available means.

(iv) Encourage the efforts of non-governmental organizations and institutions working in the field of human rights.

The State Commission is an autonomous and independent body working for betterment of human rights and is concerned about violation of such rights. The State Human Rights Commission is to facilitate and help the Government to discharge its duty of good governance and to promote the maintenance of the dignity and worth of human being. In order to avoid the violation of human rights it is imperative to provide quality service to the people of the State which is the ultimate object of a Welfare State as enshrined in the Directive Principles of the Constitution.

Justice Narendra Kumar Jain
Chairperson

Scanned by CamScanner

सिक्किम राज्य मानव अधिकार आयोग

ब्लक-'सी', विधायक आवास,

बीआईपी कॉंलोनी, गंगटोक।

मानव अधिकार दिवस के अवसर पर संदेश

१० दिसम्बर अंतर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस है।

मानव अधिकार क्या है?

आम तौर पर मानव अधिकार को अविच्छिन्न मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। जिसमें एक व्यक्ति साधारणतः जन्मसिद्ध रूप से इसका हकदार बनता है, क्यों कि वह एक मानव है। मानव अधिकार सभी मानव जाति पर अंतर्निहित होता है, जिसमे हमारा राष्ट्रियता, स्थान व आवास, लिंग, राष्ट्र या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा व और कोई भी अवस्था हो। कोई भेदभाव के बिना सभी अपनें मानव अधिकार के लिए बराबर के हकदार है। यह अधिकार अंतर्सम्बन्धित, अंतर्निर्भरशील और अविभाज्य होता है। मानव अधिकार मूलतः ऐसा अधिकार होता है, जो एक व्यक्ति होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर इसका हकदार बनता है, जिस को एक सभ्य समाज में मान्यता मिलता है और कार्यान्वित किया जाता है। इस अधिकार का मूल तत्व विश्वव्यापी होता है जिस में आजादी, समानता और स्वतंत्रता सम्मिलित है।

मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, १९९३ (केंद्रीय अधिनियम १९९४ के संख्या १०) ने धारा २ (डी) में मानव अधिकार को निम्न तरिके से परिभाषित किया गया हैः-

मानव अधिकार का अर्थ होता है– संविधान द्वारा प्रत्याभूत किया गया व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र में सम्मिलित किया गया और भारत के अदालतें द्वारा कार्यकर किया जाने योग्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबन्धित अधिकार है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की प्रायः संधि, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून, आम सिद्धान्त और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्रोत के रूप में कानून द्वारा अभिव्यक्त और प्रत्याभूत किया गया है। व्यक्ति व समूह के मानव अधिकार एवं मौलिक अधिकारों को बढ़ावा और सुरक्षा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून ने निर्दिष्ट रूप से व निश्चित ऐन का विधि बनाने के लिए सरकारों को बाध्य किया है। मानव अधिकारों का सिद्धान्त का वैश्विकता अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून की आधारशिला है। पहली बार १९४८ में मानव अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय घोषणा में जोड़ दिया गया, इस सिद्धान्त को अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन, घोषणा और प्रस्तावों में दोहराया गया है। उदाहरण के लिए, मानव अधिकार पर १९९३ वियना विश्व सम्मेलन में इस बात का ध्यान दिया गया है कि अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के परे सभी मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना एवं रक्षा करना राज्यों का कर्तव्य है।

प्रारम्भः-

मानव अधिकार के अवधारणा उतना ही पुराना है, जितना प्राकृतिक नियम पर आधारित प्राकृतिक अधिकारका अवधारणा है। विधिवेत्ताओं ने मानव अधिकार और मौलिक आजादी के प्रारम्भ और इसका प्रकृति के संबन्ध में विभिन्न सिद्धान्त विकसित किया है। पहले इसको 'जस नेचुरले' के रोम डॉक्टरिन कि तौर पर जाना जाता था। इसका अर्थ होता है, कानून प्रकृति स्वयं स्थापित करती है। भगवान इस कानून का स्रोत है। मानव अधिकार के अवधारणा मुख्य तौर पर प्राकृतिक कानून के तहत प्राकृतिक अधिकार के डॉक्टरिन के कारण विकसित हुआ है, लेकिन प्रारम्भिक रूप में यह घरेलू कानून के क्षेत्र में जैसा कि, मागना कार्टा (१२१५), पिटिसन आफ् राइट्स (१६२८), व हाबस करपस एक्ट (१६७९), बिल आफ् राइट्स (१६८९) और द एक्ट आफ् सेटलमेन्ट इन इंगलैंड (१७०१) में विकसित हुआ, जिसको स्वतंत्रता के मार्ग में सीमाचिन्ह या निर्दिष्ट बिंदु माना जा सकता है।

मानव अधिकारों का वर्गीकरणः-

मानव अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत और संगठित किया गया है। मानव अधिकारों का अति आम वर्गीकरण में नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारें है।

विकासः-

दूसरे विश्व युद्ध के प्रभाव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए नियमों का संहिता और चार्टर आफ् युनाइटेड नेशन्स बनाने में बाध्य किया। जो २४ अक्टोबर, १९४५ में कार्यान्वित हुआ, जिसने यह मान्यता प्रदान किया कि मानव अधिकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम होता है और यह कोई एक राज्य के विशेष अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आने वाला अकेला विषय अब नहीं रहा। यह चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों की संहिता और विश्व के पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का दस्तावेज तैयार करने का अधिकार दिया, जो युनिभर्सल डिकलेरेशन आफ् ह्युमन राइट्स, १९४८ के नाम पर आया, और १० दिसम्बर, १९४८ में इसको एक प्रस्ताव के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित किया। प्रस्तावना के अलावा इस में ३० धाराएं सम्मिलित है। बीसवी सदी के उत्तरार्ध में मानव अधिकारों की न्यायशास्त्रों का बहुत जल्द विकास होने लगा। विश्व में रहने वाले लोगों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सम्मिलित करते हुए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अस्तित्व में आया। भारत के संसद ने भी द प्रोटेक्शन आफ् ह्युमन राइट्स एक्ट, १९९३ को कार्यान्वित किया।

समय के चलते मानव अधिकारों का व्याख्या इन्टरनेशनल बिल आफ् राइट्स के संदर्भ में होने लगा, जो संदर्भ (१) युनिभर्स डिक्लेरेशन अफ् ह्युमन राइट्स (१९४८) (२) इन्टरनेशनल कवनेन्ट आन सिविल एण्ड पोलिटिकल राइट्स (१९७६) और (३) इन्टरनेशनल कवनेन्ट अन इकोनोमिक एण्ड सोसियो कल्चरल राइट्स (१९७६) है। मानव अधिकार प्रावधानों का कार्यान्वित करने कि लिए यह तिनों अधिकारों का बिल ने वास्तव में स्पर्शशिला बना लिया। इसके बाद अनेक प्रतिज्ञा-पत्र और कानून बना और इस प्रकार के कानून में एक है द इनभ्यारियोमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, १९८६, जिसका मूल स्रोत स्कटहोम में सम्पन्न किया गया यू.एन.कांफ्रेन्स आन ह्युमन इनभ्यारियोमेंट है।

पर्यावरण से मानव अधिकारों का संबन्ध

हाल ही के वर्ष में, मानव अधिकार और पर्यावरण बीच के संबन्ध के मान्यता में बहुत वृद्धि हुई है। मानव अधिकार और पर्यावरण के बीच के संबन्ध पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानून का संख्या और क्षेत्र, कानूनी फैसला, और एकाडेमिक अध्ययन तीव्र गति से बढ़ रहा है।

सभी मानव जाति पर्यावरण पर निर्भर है, जहाँ हम जीते है। मानव अधिकारों का पूर्ण तौर पर उपभोग करने के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण अंगभूत होता है, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य, जल और स्वच्छता भी सम्मिलित है। एक स्वस्थ पर्यावरण के बिना हम लोग अपने आकांक्षाओं का पूर्ति नहीं कर सकतें व मानव सम्मान के निम्नतम स्तर के साथ एक अपेक्षाकृत जीवन भी नहीं जी सकतें। साथ ही साथ, मानव अधिकारों का सुरक्षा से पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग मिलता है। जब लोग इस बात को जानने लगतें है, और इस में सहभागिता देतें है, इस निर्णय उनको प्रभावित करता है। वह निर्णय एक टिकाऊ पर्यावरण के लिए उनका आवश्यकताओं का सम्मान करती है, तो इसके सुनिश्चिता के लिए वह सहयोग कर सकतें है।

सिक्किम राज्य मानव अधिकार आयोगः-

सिक्किम मानव अधिकार आयोग अक्टोबर, २००८ में स्थापित किया गया था। राज्य के लोगों की मानव अधिकारों का बढ़ावा और सुरक्षा देने के दायित्व के साथ मानव अधिकार आयोग को एक संस्थान के रूप में बनाया गया था, जिससे सुशासन के लिए प्रशासनको प्रोत्साहित किया जा सकें।

आयोग को मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, १९९३ के धारा २९ के पाठ सहित धारा १२ में उल्लेख किया गया सभी व कोई कार्यो का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। जिसमें निम्न कार्य भी शामिल हैः-

(१) मानव अधिकारों का अतिक्रमण पर शिकायत व एक पीड़ित व कोई व्यक्ति नें अपना पक्ष में आयोग पत्र याचिका करने पर व कोई अदालत का एक निर्देश व आदेश पर या उस का दुष्प्रेरण करने पर, अथवा एक लोक सेवक द्वारा ऐसा अतिक्रमण रोकने में लापरवाही बरती गई तो आयोग जाँच, सुओ मोटो करेगा।

(२) राज्य सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत कोई जेल या अन्य संस्थान, जहाँ पर व्यक्तिओं को हिरासत में व उपचार, सुधार या सुरक्षा के दृष्टि से रखा गया हो, वहां पर बंदियों का जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए भ्रमण करेगा और उस पर सरकार को सिफारिश करेगा।

(३) समाज के विभिन्न तबकाओं में मानव अधिकार शिक्षा का प्रचार करेगा और प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार औ अन्य उपलब्ध माध्यम से इन अधिकारों का सुरक्षा हेतु सुरक्षा के उपलब्धता के विषय पर जागरुकता को बढ़ावा देगा।

(४) मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संस्थानों और संस्थानों के प्रयासको प्रोत्साहन देगा।

राज्य आयोग मानव अधिकारों का सुधार के लिए काम करने वाला एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है और ऐसा अधिकारों का अतिक्रमण पर सम्बन्धित है। राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकारको सुशासन का अपना कर्तव्य पालन करने के लिए और मानव के सम्मान और मूल्य को कायम रखने लिए सरकार को सहजता और सहायता प्रदान करेगा। मानव अधिकारों का अतिक्रमण से बचने के लिए राज्य के जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना अनिवार्य होता है, जो संविधान के निदेशक सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठापित एक कल्याणकारी राज्य का अन्तिम उद्देश्य है।

न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन
चेयरपर्सन।

... 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित एवं संपादित।

Scanned by CamScanner